कमिश्नर, वाणिज्य कर का समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, समस्त एडी0कमि0 ग्रेड-2, समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को प्रेषित, पत्र सं0-न्याय- व0प्र0अ0पटल- महत्वपूर्ण निर्णय/2010-11 /1011058 दिनांक : 16 नवम्बर, 2010

विषय- मा0 उच्च - न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण निर्णयों के सम्बन्ध में।

डिप्टी कमिश्नर (उ0 न्या0 कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद ने मा0 उच्च - न्यायालय इलाहाबाद पीठ द्वारा दिये गये निर्णय का विवरण उपलब्ध कराया है, जिससे सम्बन्धित संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैः-

सर्वश्री न्यू जायसवाल साइकिल स्टोर्स, परतावल बाजार, महाराजगंज के स्वामी राज कुमार विभिन्न व्यक्तियों के नाम से रेलवे रसीद/ बिल्टी पर हस्ताक्षर करके प्रान्त बाहर से माल आयात करते थे एवं उसे अपने एकाउन्टस बुक में दर्ज नहीं करते थे। रेलवे के अभिलेखों से विस्तृत जॉच की गयी। उनके द्वारा यह बताया गया कि जिन नामों से डिलीवरी ली गयी है उनका उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन कर निर्धारक अधिकारी एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यापारी के कथन को स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार समस्त आयातित माल पर करदेयता निर्धारित की गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध व्यापारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर किया गया। रिवीजन की पैरवी उच्च न्यायालय कार्य इलाहाबाद के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा गम्भीरतापूर्वक की गयी तथा वि0अनु0शा0 की रिपोर्ट, रेलवे बिल्टी, रजिस्टर एवं अन्य अभिलेख सम्बन्धित खण्ड से मंगाये गये तथा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके यह सिद्ध किया गया कि फर्म स्वामी श्री राज कुमार द्वारा विभिन्न नामों से जो हस्ताक्षर किये गये हैं वे वस्तुतः उनकी राइटिंग में हें तथा करापवंचन के उददेश्य से उनके द्वारा यह माल लगाया गया है तथा अपने खातों में दर्ज नहीं किया गया है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारक अधिकारी एवं द्वितीय अपील स्तर पर कभी भी अपने हस्ताक्षर को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष क्रास वेरीफिकेशन कराने की बात कही गयी जिसे मा0 न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह तथ्य द्वितीय अपील स्तर पर या रिवीजन के ग्राउण्डस ऑफ अपील में नहीं उठाये गये थे। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि जो न्याय विवेक के आधार पर व्यापारी का कर निर्धारण किया गया है वह पूर्णतया उचित है।

अतः उपर्युक्त निर्णय की प्राप्त इण्टरनेट छायाप्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि निर्णय के तथ्यों सहित अपने अधीनस्थ कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।